न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—177/2021/229 आर.टी.एक्ट (2021/177)

1. मोहनलाल पुत्र स्व0 पूना जाति बलाई निवासी ग्राम राजियावास, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. श्रीमती डाली पुत्री स्व0 देवाराम पत्नी भैरूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम राजियावास, तहसील ब्यावर हाल ग्राम देवीपुरा, तहसील बदनोर, जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमती रेखा पुत्री स्व0 देवाराम पत्नि श्रवण सालवी, जाति बलाई निवासी ग्राम राजियावास, तहसील ब्यावर हाल ग्राम कालिंजर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती अमरजीत कौर पत्नी गुरूबक्शसिंह जाति सिख, निवासी पुष्करगंज ब्यावर, जिला अजमेर।
2. भगवानसिंह पुत्र रूपसिंह जाति रावत निवासी ग्राम राजियावास तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ब्यावर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

नजरसानी अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.07.2021 अपील संख्या 206/2020 .

उपस्थितः—

1. श्री एस.पी.औझा, अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री एन.के.जैन, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 03.
4. अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 25.04.2023

1. यह नजरसानी प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा (राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर) द्वारा अपील संख्या 206/2020 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुआ है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया। प्रार्थी के कथनों को अस्वीकार किया तथा विभिन्न कथन अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का

Scanned with CamScanner

निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर ने अपने निर्णय दिनांक 23.10.2020 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर खसरा नम्बर 1428 में आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 2781/1427 के मध्य में से प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1428 में पहुंचने क लिए 8 फीट चौडा रास्ता रखे जाने के लिए आदेश पारित किए है। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर के निर्णय दिनांक 23.10.2020 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ने एक अपील राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 30.07.2021 द्वारा अपील को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर के निर्णय दिनांक 23.10.2020 को निरस्त कर प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि खसरा नम्बर 1428 में आवागमन हेतु रास्ते में आने वाली भूमियों के खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार बनाकर उभयपक्ष की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार कर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदार कर प्रार्थना पत्र को निर्णित करे। अतः राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 206/2020 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. प्रकरण में उभयपक्ष की प्रॉपर तामील होने के पश्चात अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने दौराने बहस में कथन किया कि न्यायालय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत अपील में एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत जवाब में मुख्य रूप से यह बात अंकित की गई कि अप्रार्थी संख्या 2 जो विवादित आराजी का 1/2 हिस्से अर्थात 655 वर्गगज का खातेदार है जिसमें भिन्न व्यक्तियों को बेचान कर दी है तथा भगवान सिंह के द्वारा 1/2 के हिस्से की भूमि के केतागण को पक्षकार नहीं बनाया। जबकि इस संबंध में ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य और ना ही न्यायालय के समक्ष और कोई ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई हो जो उक्त कथन की ताईत करती हो जबकि प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी प्रस्तुंत की है जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 भगवानसिंह अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती अमरजीत कौर 1/2–1/2 हिस्से के सहखातेदार दर्ज है। उसके बावजूद न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में यह फाईडिग देना की भगवानसिंह द्वारा खसरा नम्बर 2781/1427 के 1/2 हिस्से का भिन्न भिन्न व्यक्तियों को बेचान किया है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए पत्रावली को उक्त बिंदु पर रिमाण्ड किया जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से अपरेट ऑफ द रिकार्ड होने से निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय ने खसरा नम्बर 2782/1427 जो आराजी सडक परिवहन मंत्रालय दिल्ली के नाम अंकित है को पक्षकार कायम नहीं किया गया इसलिए पत्रावली को रिमाण्ड किया है जबकि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1428 में आवगमन के लिए एकमात्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी खसरा नम्बर 2781/1427 आती है क्योंकि उसके पश्चात खसरा नम्बर 2782/1427 जो मुख्य रोड बनने के पश्चात बची हुई आराजी जो आवागमन के काम में आती है इसलिए उसको पक्षकार कायम किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके बावजूद न्यायालय द्वारा उक्त बिंदु पर पत्रावली को रिमाण्ड

Scanned with CamScanner

किया गया है जो निरस्त योग्य है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा एवं पटवारी हल्का राजियावास द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 14.10.2020 प्रस्तुत की तथा अप्रार्थी ने मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया था, तो फिर उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर को आपत्ति खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अगर वह उपस्थित नहीं हुआ था तो उसको उसी न्यायालय के समक्ष उक्त बात कहने का अधिकार था लेकिन न्यायालय के समक्ष अपील में अंकित करने मात्र से अथवा बहस में निवेदन करने मात्र से उक्त बिंदु पर पत्रावली को रिमाण्ड नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद न्यायालय ने पत्रावली को अनावश्यक रूप से रिमाण्ड करने में भारी भूल की है। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के अंत में यह फाईडिंग दी है कि खसरा नम्बर 1428 में आवगमन हेतु रास्ते में आने वाले समस्त भूमियों के खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार बनाकर उनकी मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। इस प्रकार न्यायालय द्वारा जो फाईडिंग दी है वह अस्पष्ट है, क्योंकि अपने निर्णय में यह अंकित करना होगा कि खसरा नम्बर 1428 में आवगमन हेतु कौन कौन के खसरा नम्बर आएंगे और उनके कौन कौन खातेदार है इसके बिना निर्णय अपूर्ण है जो अपरेंट ऑफ फेस ऑफ द रिकार्ड होने से निर्णय निरस्त योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाई जावें व राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 206/2020 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2021 को निरस्त फरमाते हुए उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2020 को बहाल रखे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है। एआईआर0जन0 2006–एससी, आर0आर0टी 2019(2), 2018 डीएनजे पेज 221, 2018 डीएनजे पेज 224, आरआरटी 2016(1).

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने बहस रिव्यू में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर के द्वारा प्रकरण संख्या 36/2020 मोहनलाल व अन्य बनाम भगवान सिंह व अन्य के प्रकरण में आदेश दिनांक 23.10.2020 के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 206/2020 अमरजीत कौर बनाम मोहनलाल व अन्य प्रस्तुत की गई कि जिस पर न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीया अमरजीत कौर की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10. 2020 को निरस्त किया गया तथा साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया कि खसरा संख्या 1428 में आवागमन हेतु रास्ते में आने वाली समस्त भूमियों के खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार बनाकर तथा उभय पक्ष की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निर्णित करे, इस प्रकार न्यायालय के द्वारा अपील संख्या 206/2020 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2021 कि जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि ही नहीं है, एरर फेस ऑफ द रिकार्ड ही नहीं है, ऐसी अवस्था में उपरोक्त नजरसानी आवेदन पत्र निरस्त किए जाने योग्य है, तथा इसी पैरा में दर्शाया शेष कथन कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 2781/1427 रकबा 0.1097 हैक्टर भूमि कि जिसमें नजरसानीकर्ता आवेदनकर्ता की भूमि में आने जाने हेतु 30 फुट का चौडा रास्ता

Scanned with CamScanner

कदीमी रूप से विद्यमान चला आ रहा हो वर्णित कथन पूर्णतया निराधार एवं गलत होने से अस्वीकार है, यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थीया संख्या 01 के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 206/2020 श्रीमती अमरजीत कौर बनाम मोहनलाल व अन्य अपील प्रस्तुत की गई कि जिसके पैरा संख्या 04 में यह स्पष्ट किया कि नजरसानीकर्तागण/आवेदनकर्तागण की भूमि पर आवागमन का रास्ता जो कि खसरा नम्बर 1431 एवं 1432 की पश्चिम दिशा से होकर आगे रिकार्डेड रास्ता है कि जिसका उपयोग किया जाता रहा है, यहां तक कि नजरसानी आवेदनकर्तागण के पास एक ओर रास्ता जों कि खसरा नम्बर 1423 एवं 1424 की दक्षिणी सींव से लगता हुआ ग्राम के मुख्य रोड से आवागमन का रास्ता है कि जिस पर गैट भी लगा हुआ है, न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2021 के विरूद्ध उक्त नजरसानी आवेदन पत्र जो प्रस्तुत किया गया है वह नजरसानी के प्रावधानों में ही नहीं है, उक्त नजरसानी आवेदन पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– आरबीजे(12)2005, 2018 आरबीजे पेज 273, 2017 आरबीजे पेज 496.

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन वकील प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का मुख्य तर्क यह है कि निर्णय दिनांक 30.07.2021 में न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट नही किया कि किनको पक्षकार बनाया जाए तथा सडक परिवहन मंत्रालय दिल्ली आवश्यक पक्षकार नही है क्योंकि बची हुई जमीन आवागमन में ही काम आती है एवं मौका रिपोर्ट पर अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष जवाब आवेदन पत्र 251 ए राज0काश्तकारी अधिनियम दिनांक 23.10.2020 को प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 03 में स्पष्ट रूप से आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार बनाये जाने का एतराज लिया गया है तथा खातेदारों के नाम भी बताये गये है। साथ ही मौका पर्चा रिपोर्ट 20.10.2020 में विवादित भूमि में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि विवादित भूमि के एक भाग पर प्लाटिंग हो रखी है एवं जवाब प्रार्थना–पत्र में भी अपीलार्थी द्वारा भी कथन किया गया है कि सहहिस्सेदार भगवान सिंह द्वारा अपने हिस्से की भूमि प्लाट काट कर बेचान कर दी गई है मौके पर क्रेतागण द्वारा चारदिवारी आदि कर निर्माण किया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार सभी हितबद्ध व प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। हाज़ा न्यायालय द्वारा अपने दिये गये आदेश में कोई त्रुटि परलक्षित प्रतीत नहीं होती है जहां तक जहाजरानी सडक परिवहन मंत्रालय को पक्षकार बनाने का सवाल है खसरा नम्बर 2782/1427 के खातेदार है एवं खातेदार को बिना सुने रास्ता दिया जान न्यायोचित नहीं है। हम प्रार्थी के इस कथन से सहमत नही है कि उपरोक्त कारण से आदेश में कोई त्रुटि कारित हुई हो। उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष अपीलार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 14.10.2020 के विरूद्ध आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें स्पष्ट तौर

Scanned with CamScanner

पर कथन किया गया है कि मौका रिपोर्ट से पूर्व हल्का गिरदावर व पटवारी व तहसीलदार द्वारा कोई नोटिस सूचना नहीं दी गई। इसका कोई जवाब रेसपो0/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है इस प्रकार हम वकील प्रार्थी/रेसपोडेन्ट के कथन से सहमत नहीं है कि हाजा न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि कारित हुई हो। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अनुसार प्रार्थना पत्र नजरसानी का दायरा बहुत ही सीमित है जिसमें केवल मात्र यदि न्यायालय द्वारा किसी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जो कि गुणावगुण पर निर्णय को प्रभावित करता हो को बिना देखे आदेश/निर्णय पारित कर दिया हो अथवा गणितीय, लिपिकिय त्रुटि कारित हो गई हो जो कि एरर अपरेंट ऑन द फेस आफ रिकार्ड के आधार पर नजरसानी में निर्णय दिया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है ना ही पत्रावली एवं आदेश के अवलोकन से कोई एरर अपरेंट ऑन द फेस आफ रिकार्ड प्रतीत होता है। हाजा न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 1428 में आवागमन हेतु रास्ते में आने वाली समस्त भूमियों के खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार बनाकर तथा उभयपक्ष की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है एवं आदेश में ऐसा कोई भी एरर अपरेंट ऑन द फेस आफ रिकार्ड नही पाया जाता है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राज0काश्त0अधि0 सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रेस्पो/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राज0काश्त0अधि0 दिनांक 12.08.2021 निरस्त की जाती है एवं पूर्व में पारित आदेश दिनांक 30.07.2021 को यथावत रखा जाता है।

7. अतः प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 206/2020 में परित आदेश दिनांक 30.07.2021 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner